न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –25 / 2022(2022 / 00050)
अनवान : –

सुनीलसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. बुन्देलसिंह पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विनोद पूनियां वादी अधिवक्ता
श्री उम्मेदसिंह प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 29/4/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 76 / 77 के खसरा न0 13, 13 / 1, 13 / 2, 15, 25 कुल खसरा 5 की कुल 5.084 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 8473 / 203360 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285 / 129 के खसरा न0 173, 175, 186, 187 कुल खसरा 4 की कुल 18.653 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा नानकराम की खातेदारी हुआ करती थी। नानकराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी मोहनलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मोहनलाल के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल को वादी के दादा नानकराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 76 / 77 व चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285 / 129 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट से कोई अनुतोष न चाहने के कारण तर्क अंकित किया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी के हक में सम्पूर्ण हिस्सा तर्क कर शून्य कर लिया है।

साक्ष्य वादी में वादी सुनीलसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 76/77 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285/129 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 76/77 दादालाई हेतु प्रदर्श 3, जमाबन्दी करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285/129 दादालाई हेतु प्रदर्श 4, सदस्य प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 76/77 के खसरा न0 13, 13/1, 13/2, 15, 25 कुल खसरा 5 की कुल 5.084 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 8473/203360 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285/129 के खसरा न0 173, 175, 186, 187 कुल खसरा 4 की कुल 18.653 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 76/77 के खसरा न0 13, 13/1, 13/2, 15, 25 कुल खसरा 5 की कुल 5.084 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 8473/203360 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285/129 के खसरा न0 173, 175, 186, 187 कुल खसरा 4 की कुल 18.653 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है में से **प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनीलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..29/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –25/2022(2022/00050)

अनवान : –

सुनीलसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. बुन्देलसिंह पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां व वकील प्रतिवादी श्री उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के वर्तमान खाता संख्या 76/77 के खसरा न0 13, 13/1, 13/2, 15, 25 कुल खसरा 5 की कुल 5.084 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 8473/203360 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, इसी प्रकार रोही मौजा चक करणपुरा बारानी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 285/129 के खसरा न0 173, 175, 186, 187 कुल खसरा 4 की कुल 18.653 हैक्टेयर खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी मोहनलाल के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है **में से प्रतिवादी संख्या 1 मोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनीलसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...29/4/22... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ़